

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा. (II) व<sup>2</sup>-24 / 2012-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

**विषय-** डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कन्सलटेंट के परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रु. 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 10,75,000=00 (दस लाख पचहतर हजार रुपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने के संबंध में।

**आदेश:- स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1007, दिनांक 12.04.2013 के द्वारा डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु मे. लार्ड कल्चरल रिसोर्सज प्रा. लि., को 'मास्टर प्लान कन्सलटेंट' के रूप में चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रु. 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध अबतक रु. 2,31,50,000=00 (दो करोड़ इकतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र का परामर्शी शुल्क, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त की जा चुकी है।

3. राज्य सरकार ने एकरारनामा में अंकित पेमेंट शिड्यूल के अनुसार मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा Phase 2-Final Master Plan & Final Capex Report का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत समर्पित अभिश्रव (Invoice No. 0002053-04B, dt 06.01.2017) के आधार पर परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रु. 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्य के लिए शेष रु. 10,75,000=00 (दस लाख पचहतर हजार रुपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघुशीर्ष- 004-अनुसंधान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0101- बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/ इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 28 03 कन्सल्टेंसी विषयशीर्ष में पुनर्विनियोग से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43-2203000040101 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मास्टर प्लान कन्सलटेंट को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. मुम्बई में भुगतये उक्त बैंक ड्राफ्ट "LordCultural Resources Pvt. Ltd." के पक्ष में होगा।

8. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ए/-

(मिर्जा आरिफ रजा)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) व<sup>2</sup>-24/ 2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) व<sup>2</sup>-24/ 2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -  
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (II) व<sup>2</sup>-24/ 2012-

2980

/पटना, दिनांक-

15/12/17

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ उप निदेशक (क.)/अवर सचिव/विपत्र शाखा (मूल अभिश्रव सहित दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.12.17  
सरकार के उप सचिव

15/12/17

2980